

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8. विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. विद्यालय में अग्नि शमन गैस स्थापित कर अग्नि शमन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभियन्ता से प्राप्त कर लिया जाय।

11. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।

नाम:

(आ०पी०एन०सिंह)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।

पृष्ठांक संख्या: एसटी०/एन०ओ०सी०/५१४२-४४ /2010-11 दिनांक: वही।

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उ०प्र० शासन, शिक्षा 7 अनुभाग, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
6. प्रबन्धक, सम्बन्धित विद्यालय।
7. गार्ड फाइल।

(अहियरन सिंह)

सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अलीगढ़।



Shalini
Manager
Shantiniketan World School
Ramghat Road, Aligarh